एक नजर

पीएम सड़क राहत योजना से होगा कैशलेस इलाज

नर्मदापुरम, 9,मार्च, सड़क दुर्घटना पीडि़तों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सड़क राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार 9 मार्च को जिला प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत, डीएसपी ट्रैफिक संतोष मिश्रा एवं जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद कापसे, मनीष गुणवान, विनोद सालमी की उपस्थिति में शासकीय एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सकों, पुलिस अधिकारी - कर्मचारियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान एनआईसी मध्यप्रदेश से गौतम डे, मनीष गुणवान, विनोद सालमी एवं डॉ. नवीन ने वर्चुअल माध्यम से योजना के तकनीकी एवं संचालन संबंधी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की।

बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 में सड़क दुर्घटना पीडि़तों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम राहत योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के बाद पीडितों को 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का संचालन (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बीमा या आय से संबंधित कोई शर्त नहीं रखी गई है और किसी भी प्रकार की सड़क पर हुए हादसे में इसका लाभ लिया जा सकेगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में समय पर उपचार न मिलने के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक मान्य रहेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए बीमा या आय संबंधी कोई पात्रता शर्त नहीं है तथा सभी प्रकार की सड़कों पर हुए हादसे इसमें शामिल किए गए हैं। योजना मेंप्लेटफॉर्म को 2.0 (ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम) से जोड़ा गया है तथा भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष (माध्यम से किया जाएगा।

लोकायुक्त ने किया नपा अधिकारियों को जवाब तलब

नवभारत समाचार सेवा

इटारसी ,9 मार्च नससे. नगर पालिका में अनियमिताओं को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लोकायुक्त को की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुये लोकायुक्त, संभागीय सर्तकता समिति और संचालक स्थानीय संपरीक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और मामले में नपा अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

इस पूरे मामले की शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार सुरेश चिचवारे ने की है.आरोप है कि नगरपालिका के ऑडीटर ने नपा अधिकारियों के साथ अपराधिक सांठगांठ करके नियम विरुद्ध 13,78,60,782 रूपयों का भुगतान किया गया हैं. श्री चिचवारे ने लोकायुक्त . लोकायुक्त संगठन, भोपाल को प्रस्तुत एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि म.प्र. नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम-2018 के नियम 85(2) का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका परिषद, के अधिकारियों द्वारा ऑडीटर के सहयोग से अगस्त 2022 से जुलाई 2025 की अवधि में विधि विरूद्ध ढंग से लगभग 2200 नस्तियां तैयार कर उनके माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का क्रय दर्शाया जाकर उक्त अवधि में लगभग रु. 13,78,60,782/- का विधि विरूद्ध भुगतान किया गया है.इसशिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा भुगतान से पूर्व प्रत्येक नस्ती की संपरीक्षा यानी ऑडिट की जाती है. ऑडिट के बाद संबंधित ऑडिटर द्वारा संबंधित पेमेंट वाउचर पर चेक्ड एंड पास्ड फॉर पेमेंट की टीप अंकित कर हस्ताक्षर किये जाते हैं, इसके बाद ही भुगतान किया जाता है। म.प्र. नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के नियम 85(2) के अनुसार एक लाख रुपये से कम की सामग्री एक माह में अधिकतम दो बार ही क्रय की जा सकती है। परंतु इसके विपरीत नपा के प्राधिकारियों द्वारा अगस्त 2022 से जुलाई 2025 की अवधि में विधि विरूद्ध ढंग से लगभग 2200 नस्तियां तैयार कर उनके माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का क्रय दर्शाया गया है ऑडिट नियमों का पालन करना संबंधित सीएमओतथा संपरीक्षक के लिये बाध्यकारी है, इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सचिव, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र., भोपाल द्वारा पत्र 23 दिसम्बर 2025 के माध्यम से अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल से संबंधित शिकायत की जांच कर दिनांक 17 मार्च 2026 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है।

जन जागरुकता साइकिल रैली आयोजित

नर्मदापुरम,9,मार्च, जिलाआपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नर्मदापुरम द्वारा आपदा बचाव एवं जनसुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया।

प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित के नेतृत्व में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा यह रैली आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय परिसर से डिप्टी कलेक्टर बबिता राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शांतिनिकेतन स्कूल पहुंची और वहां से आगे बढ़ते हुए होमगार्ड कार्यालय में संपन्न हुई।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

सोहागपुर,9 मार्च नससे .जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को सोहागपुर में सनातन धर्मियों द्वारा एक धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा के उपरांत संत समाज एवं उपस्थित जनसमुदाय ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) प्रियंका भलावी को सौंपा।

पुराने थाने के सामने आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य परंपरा से जुड़े राहुल जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला निवासी आशुतोष ब्रह्मचारी,द्वारा जगतगुरु शंकराचार्य के खिलाफ झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शंकराचार्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना निंदनीय है।धर्मसभा में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के साथ रहे महेंद्र तिवारी ने बताया कि उस दिन एक टीआई रैंक का पुलिस अधिकारी शंकराचार्य की टोली को स्नान कराने के लिए ले गया था। लगभग आधा किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद मेला प्रशासन ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शंकराचार्य द्वारा परंपरा अनुसार स्नान की बात कहने पर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी और पुलिसकर्मियों ने छोटे-छोटे बटुकों के साथ मारपीट करते हुए उनके केश तक पकड़ लिए।

कार्यक्रम को डॉ. विधुलता आवटे, स्मिता तोमर, पंडित प्रकाश मुद्गल, हरगोविंद पुरबिया, गोपाल गांगूड़ा, रमन शुक्ला, पुष्पराज सिंह पटेल, ब्रज पटेल, यशवंत सिंह राजपूत, हरिशंकर पटेल, सुधीर पटेल और प्रशांत जायसवाल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

धर्मसभा का संचालन अनंत तिवारी और ऋषिका गोस्वामी ने किया। सभा के बाद संत समाज के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने राष्ट्पति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जगतगुरु शंकराचार्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की।

आदतन नरवाई जलाने वालों पर लगेगा भारी अर्थदंड

हरदा,9 मार्च नससे. कलेक्टर सिद्धार्थ जैन द्वारा ग्रीष्मकाल के दौरान खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि विगत वर्ष नरवाई जलाने वालों की सूची तैयार की जाए एवं उनको नोटिस जारी किए जाएं। ऐसे व्यक्तियों को ताकीद किया जाए कि यदि इस वर्ष पुनः नरवाई जलायेंगे तो उन पर भारी अर्थदंड लगायाजाएगा।

सोमवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर हायर सेकण्ड्री के विद्यार्थियों को कृषि संकाय की सुविधा दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये।

नगरीय क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप से निपटने के लिये रोस्टर बनाकर सभी वार्डों में फागिंग मशीन के माध्यम से धुआं छोड़ने के निर्देश दिये गये।

बैठक में ग्रीष्मकाल के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अभी से पेयजल प्रबन्धन की तैयारी करने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को पाबंद किया गया।बैठक में सीएम हेल्पलाइन, संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा भी की गई।

साथ ही राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली की स्थिति की भी कलेक्टर ने जानकारी ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय व सुश्री रजनी वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रेलवे अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

पिपरिया - रेलवे अस्पताल में अंतर्राष्टीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर आर आर कुर्रे ने बताया कि समाज में महिलाओं को समान अवसर , समान सहयोग देते है तो इसके लाभ पूरे समाज को मिलते है। महिलाओं के शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है एवं समान शिक्षा राजनीतिक उपलब्धियां, नारी शक्ति, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं सम्मान देने के उद्देश्य से अंतर्राष्टीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने महिला के लिए विशेष प्रकार के कानून की व्यवस्था भी की है। अस्पताल पर स्वास्थ्य केम्प का आयोजन किया गया एवं महिला शिक्षा एवं विकास पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त किये.

किसानों को चालीस रुपये का बोनस राहत नहीं

हरदा,9 मार्च नससे. हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव खाद्य विभाग भोपाल को पत्र प्रेषित गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है।

विधायक डॉ. दोगने द्वारा प्रेषित किए गए पत्र में लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीदी पर 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है किंतु प्रदेश के किसानों की वास्तविक स्थिति और लगातार बढ़ रही कृषि लागत को देखते हुए यह पर्याप्त नही है। आज किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बिजली एवं मजदूरी जैसी आवश्यक कृषि आदानों की लगातार बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। खेती की लागत में भारी वृद्धि होने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मात्र 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मध्यप्रदेश देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है और प्रदेश के लाखों किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए गेहूं उत्पादन पर निर्भर हैं। यदि किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य नहीं मिलेगा तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर करेगा। किसानों की मेहनत और बढ़ती लागत को देखते हुए उन्हें उनकी उपज का उचित प्रतिफल मिलना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु हेलो मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। जिससे किसानों को उनकी उपज का सम्मानजनक मूल्य मिल सके .

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित

नवभारत समाचार सेवा

नर्मदापुरम,9,मार्च, नर्मदापुरम में अंतर्राष्टीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएँ देने वाली महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि श्रीमती सीमा तिवारी उपस्थित रहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्री अभय सिंह ने महिलाओं से संबंधित कानूनी नियमों और विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्य रूप से श्रीमती प्रीति यादव (परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास शहरी), श्रीमती निराली आर्य (वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी), श्रीमती राखी चौरे (परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग), डॉ. हर्षा चचाने, डॉ. संगीता अहिरवार, डॉ. कंचन ठाकुर, डॉ. रागिनी सिकरवार (प्राध्यापक, गृह विज्ञान महाविद्यालय), सुश्री नीलोफर बी और सुश्री अफरोज खान सहित अन्य प्रतिभागी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला दिवस समारोह का आयोजन

माखन नगर,9 मार्च नससे. श्री माखन लाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय, माखन नगर में अंतर्राष्टीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्ता को रेखांकित करना और महाविद्यालय परिसर की समस्त मातृशक्ति (प्राचार्य , महिला प्राध्यापकों और छात्राओं) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना था।

दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉ नीता चौबे मैडम द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। छात्राओं ने सुमधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की.स्वागत उद्बोधन डॉ आई एस कनेश एवं ग्रंथपाल अजय मेहरा द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत किया और महिला दिवस की ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण अंश सम्मान समारोह रहा. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नलिखित रूप में मातृशक्ति का अभिनंदन किया गया। प्राचार्य डॉ नीता चौबे, डॉ कविता दुबे, डॉ क्षमा मेहरा, डॉ सुमन अवस्थी, श्रीमती सुषमा यादव, डॉ आकांक्षा यादव, श्रीमती संध्या गोलिया, कु शिवानी मालवीय सहित समस्त मातृशक्ति को महिला दिवस पर सम्मानित किया

अधिवक्ताओं का होली मिलन समारोह आयोजित

इटारसी, 9 मार्च नससे. अधिवक्ता संघ द्वारा आज अधिवक्ता कक्ष इटारसी में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में इटारसी न्यायालय के न्यायाधीश श्रीआदित्य रावत ,श्री सूर्यपाल पाल सिंह राठौड़ , श्री यतिन अग्रवाल , श्रीमती आयुषी गुप्ता, एवं श्रीमती प्राची कौरव , उपस्थित थे.

कार्यक्रम में उपस्थित सभी न्यायाधीश गणों ने सभी अधिवक्ताओं को होली, व रंग पंचमी व महिला दिवस की बधाई प्रेषित कर 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का निवेदन किया. कार्यक्रम को संघ के अध्यक्ष रमेश राजपूत एवं सचिव पारस जैन तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भी संबोधित किया गया. कार्यक्रम में संघ के कोषाध्यक्ष राजेश चौरे, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता नागेश, एवं मनीष बाजपेई, सहसचिव विजय दुबे, ग्रंथ पाल कंचन मेहरा, कार्यकारिणी सदस्य एजीपी भूरेसिंह भदोरिया, व जेपी शुक्ला,सहित वरिष्ठ

अधिवक्ता रघुवंश पांडे, अजय तिवारी, पूर्व अध्यक्ष संतोष गुरयानी, दीपक जैन, एजीपी सत्यनारायण चौधरी, बृजेश पटेल,गोपाल राजपूत, बसंत केवट,दिलीप चौरे ,संजय गुप्ता सतीश चौहान, गजेंद्र राजपूत, नरेंद्र महाला, ओ पी कुशवाहा, प्रशांत चौरे,मुकेश आर्य ,जमना मालवीय, रवि सावदकर ,अनिल बाथरी, अश्वनी चौरे, शेख अबरार, बृजेश चिमनिया, राजेश नामदेव, निखिल सोनी, नंदकिशोर पचलानिया गजेंद्र नागे,अजय चौधरी, संदीप भदोरिया,रूद्र पटेल, दीपक तिवारी रामशंकर आठनेरे, राजेंद्र कैथवास अनूप हनोतिया, राजकुमार पटेल, ओपी यादव, प्रताप राजपूत,सहित संघ के सदस्य उपस्थित थे. संचालन विनोद भावसार द्वारा एवं आभार मनीष बाजपेई व्यक्त किया.

किरार भवन में होली मिलन समारोह आयोजित

पिपरिया,9 मार्च नससे. कन्या शाला के पीछे स्थित किरार-धाकड़ भवन में अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा जिला नर्मदापुरम द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

होली मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दर्शन सिंह चौधरी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजनों, महिलाओं और युवाओं की सहभागिता रही.

भगवान बलराम के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बलराम के विधिवत पूजन-अर्चन के साथ किया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं समाजजनों को अंतरराष्टीय महिला दिवस एवं रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजन आपसी प्रेम, सौहार्द और एकजुटता को सुदृढ़ करने का माध्यम बनते हैं।इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुषों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। संचालन नीतिराज सिंह पटेल ने किया।

होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ

पिपरियाा,9 मार्च नससे. कलार समाज भवन में होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान सहस्त्रबाहु जी की आरती की गई.कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष रामदास राय, पूर्व विधायक हरिशंकर जायसवाल, पूर्व जिला सतर्कता निगरानी सदस्य अरविंद राय, राकेश कटकवार , अजय कटकवार, डॉ सतीश कटकवार, गोलू जायसवाल, महिला अध्यक्ष रेखा जायसवाल, विनीत जायसवाल, सविता तोमर, अर्चना अरविंद राय, प्रीति हरीश राय, अनामिका राय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कटकवार, राजीव जायसवाल, गोलू जायसवाल,

वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन 11 मार्च को

नर्मदापुरम,9,मार्च, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तत्वावधान में नर्मदापुरम जिले के खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन 11 मार्च को प्रातः 10 बजे से द रैनट्री रिसोर्ट, में किया जाएगा।कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े उद्योगों और सरकारी संस्थानों को स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से जोड़ना है।

तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारी

पिपरिया9 मार्च नससे. रेलवे ओवरब्रिज पर इतवारा बाजार तरफ तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार ओवर ब्रिज की दीवार के पास टकराई।

रविवार को इतवारा बाजार बाजार का दिन होने पर मुख्य मार्ग व ओवर ब्रिज पर आवागमन अत्यधिक था इसी दौरान इतवारा बाजार पचमढ़ी रोड तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार क्रमांक एमपी 20 एलए 7777 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर ओवर ब्रिज पर दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हुए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर शासकीय चिकित्सालय में डाक्टर शोभित जैन ने प्राथमिक उपचार कर नर्मदा पुरम रेफर किया। स्टेशन रोड थाना एसआई अमित भारद्वाज ने बताया कि कार चालक ने ओवर ब्रिज पर दो बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में पौड़ी बनखेड़ी निवासी 20 वर्षीय रितेश पिता कमलेश अहिरवार गंभीर रूप से घायल हुआ वहीं उसके साथ बैठे 23 वर्षीय मिथुन पिता गोपाल अहिरवार को हाथ-पैरों में चोटें आई हैं। दूसरी बाइक पर सवार बनवारी रोड बैनर्जी कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय श्रवण विश्वकर्मा भी घायल हुआ हैं। डॉ. शोभित जैन ने बताया कि रितेश अहिरवार को हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं गंभीर घायल रितेश अहिरवार को नर्मदा पुरम रेफर किया गया है। दुर्घटना के समय ओवर ब्रिज पर भगदड़ की स्थिति बन गई इस दौरान पुलिस ने दोनों ओर से यातायात को सुचारू रूप से कराया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर स्टेशन रोड थाने में खड़ा करवाया गया है।

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ

हरदा,9 मार्च नससे. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,द्वारा सोमवार को माईंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल हरदा एवं वार्ड क्र. 02 आंगनवाडी केन्द्र क्रं. 08 हरदा के पास शंकर मंदिर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर , शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं, एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में महिलाएं, बच्चें तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स सुश्री रेखा विश्नोई, सुश्री शैफाली घावरी उपस्थित रहे.

माईंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थितजनों को महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीडन, सालसा व नालसा की योजनाओं पीडित प्रतिकर योजना, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015 के बारे में जानकारी देते हुए, बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तक उनके मूल अधिकारों की पंहुच को सुनिश्चित करना है।

वहीं वार्ड क्रं. 2 आंगनवाड़ी केन्द्र क्रं. 8 के पास शंकर मंदिर में आयोजित शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री राठौर ने बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के तहत पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018 की जानकारी उपस्थितजनों को प्रदाय की। उन्हें इस बारे में भी जागरूक किया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ''संवाद योजना-2025'' के तहत छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की। इस दौरान शिविर में उपस्थित लोगों की कानूनी समस्याओं को समझकर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी दी गई तथा नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।

न्यायालय नजूल अधिकारी इटारसी

इश्तहार प्रेस विज्ञप्ति

रा.प्र.क्र. 0028 अ-20(3) वर्ष 2025-26

आम जनता को इस इश्तहार प्रेस मुनादी के जरिए सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुनीता वर्मन पत्नी स्व. कृष्णकांत वर्मन निवासी इकबालगंज खेड़ा इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम ने इस आशय का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109,110 म0प्र0राजस्व संहिता 1959 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि नगर पालिका इटारसी की नजूल शीट नं. 21 प्लाट नं. 17 रकबा 1500 वर्गफुट भूमि जो नजूल अभिलेख में कृष्णकांत वर्मन के नाम पर दर्ज है. कृष्णकांत वर्मन का स्वर्गवास दिनांक 11/02/2025 को हो चुका है। आवेदिका ही उनके विधिक वारिसान हैं। अतः आवेदक द्वारा उक्त वर्णित संपत्ति पर फौती आधार पर नजूल अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया है।

आवेदक के उक्त आवेदन पर जनसामान्य को कोई आपत्ति या कोई दावा प्रस्तुत करना हो तो वह प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16/03/2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय नजूल अधिकारी इटारसी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि में दावा या आपत्ति पेश न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावेगा।

नोट- नियत तिथि को अवकाश घोषित होने की दशा में प्रकरण की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में होगी।

नजूल अधिकारी
इटारसी